प्रपत्र–6

परियोजना का नाम :– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में मरोडा से वनाली मोटर मार्ग के कि0मी0 3 से कुण्ड (8.125 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु वन भूमी हस्तान्तरण प्रस्ताव।

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

आज दिनाँक 27.06.15 को सिंचाई खण्ड सिंचाई पी0एम0जी0एस0वाई0 देहरादून (एजेन्सी का नाम) के द्वारा जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में मरोडा से वनाली मोटर मार्ग के कि0मी0 3 से कुण्ड तक बनाये जाने वाले मार्ग/प्रस्तावित परियोजना को बनाये जाने हेतु स्थल निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री जे0 पी0 बिजल्वाण एंव राजस्व विभाग की ओर से श्री डी0 के0 सेती, प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री आदर्श तथा स्थानीय प्रतिनिधि के द्वारा प्रश्नगत परियोजना को बनाने हेतु सर्वश्रेष्ठ स्थल/समरेखन के चयन तथा अन्य वैकल्पिक स्थलों/समरेखनो के चयन हेतु भाग लिया गया ।

संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि सामाजिक आवश्यकता, परिस्थितिक आवश्यकता, आर्थिक मितव्यता तथा तकनीकी आवश्यकता के दृष्टि से जो समरेखन/स्थल सर्वथा उपयुक्त पाया गया है उसमें 780 (मी0) नाप भूमि. से, 820 (मी0) सिविल भूमि से, 450 (मी0) वन पंचायत से , 6075 (मी0) आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखण/स्थल के चयन में कुल 0.7020 है0 नाप भूमि 0.5740 है0 सिविल भूमि 0.3150 है0 वन पंचायत 4.2525 है0 आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 5.1415 है0 भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी । इस समरेखन पर /चुने गये स्थल पर लगभग 182 वृक्ष विभिन्न प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे,जिनमें से 46 बांज प्रजाति के प्रभावित होंगे । ग्रामीणो के अत्याधिक विवाद के कारण दूसरा समरेखण नही किया जा सका ।

इस वन भूमि हस्तान्तरण के तुलना में जो वैकल्पिक वन भूमि हस्तान्तरण देखे गये उसमें 800 (मी0) नाप भूमि.से, 900 (मी0) सिविल भूमि से, 500 (मी0) वन पंचायत से, 6300 (मी0) आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखण/स्थल के चयन में कुल 0.7200 हे0 नाप भूमि 0.6300 हे0 सिविल भूमि 0.3500 हे0 वन पंचायत भूमि 4.4100 हे0 आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 5.390 हे0 भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी । इस समरेखन पर /चुने गये स्थल पर लगभग 282 वृक्ष विभिन्न प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे,जिनमें से 78 बांज प्रजाति के प्रभावित होंगे ।

अतः परियोजना के निर्माण हेतु चयनित विकल्प संख्या प्रथम के वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक एवं उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है तथा इस चुने गये वन भूमि की मांग न्यूनतम है।

अतः परियोजना के निर्माण हेतु चयनित विकल्प संख्या प्रथम के वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक एवं उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है तथा इस चुने गये वन भूमि की मांग न्यूनतम है।

चुने गये समरेखन का प्रारम्भ होने के स्थल का GPS मान. 78° 09' 43.59" E 30° 19' 31.68" N है तथा यह स्थल मरोडा से वनाली मोटर मार्ग के कि0मी0 3 से प्रारम्भ होता है तथा समरेखण का अन्तिम स्थल कुण्ड है जिसका GPS मान 78° 12' 33.58" E 30° 18' 40.34" N है। चुने गये समरेखण/स्थल के बीच के स्थलों के GPS मान संन्लग्न हैं। चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारहण्य का हिस्सा है/नही है। चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण के चयन से ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन होगा/नही होगा ।

इस समरेखण पर निर्माण के दौरान जो मलवा उत्सर्जित होगा उसके निस्तारण हेतु, कृषकों की भूमी पर खड़ साइड़ में मार्ग के समान्तर वायर क्रेट लगाकर उत्सर्जित मलवे का निस्तारण किया जयेगा जो स्थल उपयुक्त पाये गये हैं जिनका GPS मान 78° 10' 01.68" E 30° 19' 02.86" N, 78° 10' 00.11" E 30° 19' 00.59" N, 78° 11' 13.49" E 30° 19' 29.32" N, 78° 11' 14.51" E 30° 19' 31.57" N, 78° 11' 18.63" E 30° 19' 32.37" N, 78° 11' 17.78" E 30° 19' 30.87" N, 78° 11' 21.09" E 30° 19' 20.92" N, 78° 11' 22.17" E 30° 19' 12.51" N, 78° 11' 15.62" E 30° 18' 30.37" N हैं।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
(प्रयोक्ता एजेन्सी) प्रतिनिधि	वन क्षेत्राधिकारी सकलाना रेंज, टिहरी प्रतिनिधि	(राजस्व विभाग) प्रतिनिधि	(जन प्रतिनिधि) प्रतिनिधि
उप प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्रनगर उप वन प्रभाग मुनि की रेती; प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी वन प्रभाग, मसूरी	उपजिलाधिकारी धनोल्टी टिहरी गढ़वाल	वन क्षेत्राधिकारी रायपुर रेंज, मसूरी वन प्रभाग	अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, सि0ख0 नई टिहरी; उप प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून वन प्रभाग

Joint inspection

SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF

(For the forest land to be diverted under FCA)

A proposal has been received by this office from Executive Engineer, P.M.G.S.Y, Irrigation Division-2, New Tehri, for "Construction of K.M 03 of Marora-Banali Motor marg to Kund tak Motor road (8.125 K.M) " under FCA-1980 of 5.1415 ha. of forest land non-forestry purpose. The Project envisages the use of, "Construction of K.M 03 of Marora-Banali Motor marg to Kund tak Motor road (8.125 K.M) ". The site inspection of the land involved in the proposal has done by me on dated 12-07-2016

On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a Reserve Forest + Prevate Forest + Civil Forest (RF 3.5525 ha.(MFD) + RF 0.7000 ha.(NNFD)=4.2525ha.+ PF 0.00 ha.+CF 0.889 ha. = 5.1415 ha.

The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col.2 part-I is unavoidable and is barest minimum required for the project.

Whether any rare/endagered/unique species of flora and fauna is found in the area. If so the details there of: No.

Whether any protected archeological/heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area, If so the details there of with NOC from compentent authority, if required:- No.

a) The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction.(√)
b) It has been found that the user agency has violated the forest (Conservation)] Act 1980 provided. A detail report as per para 1.9 of chapter 1, para C of Handbook of forest (Conservation)] Act 1980 is attached.(x)

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

Proposal is recommended.

(Signature)

Place - Mussoorie | Name (Dr. Dheeraj Pandey)

Date - 18.7 . 2016 | Designation. प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

Office Seal

N.B x **State the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.**

xx **Out of (a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.**

As per letter number 2-2/2000 FC dated 16-10-2000 from Ministry of Environment & Forests, Government of India for proposal involving less then 40 ha. of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more than 40 ha. of forest land site inspection report from the conservation of forests is required.